छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर –492001

फोन न. –0771–2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट–www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 4499/01/चयन/2020 दिनांक 27 JAN 2021

साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु "सूचना पत्र"

सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान

(उच्च शिक्षा विभाग)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्र. 02/2019/परीक्षा/दिनांक 18.01.2019 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 23.01.2019 के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान (उच्च शिक्षा विभाग) के कुल 08 विज्ञापित पद हेतु दस्तावेज सत्यापन का आयोजन दिनांक 13.फरवरी 2020 से 14 फरवरी 2020 तक किया गया है। उक्त दस्तावेज सत्यापन में अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 11.02.2021 को आयोजित किया जावेगा।

विज्ञापन क्र. 02/2019/परीक्षा/दिनांक 18.01.2019 द्वारा सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान हेतु कुल 08 पद (अजा–03, अजजा–05) विज्ञापित किया गया है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को पुनः दिनांक 09.09.2020 से 18.09.2020 तक ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। उक्त अवधि मे प्राप्त 10 ऑनलाईन आवेदन में से 04 अभ्यर्थियों द्वारा अनारक्षित वर्ग तथा 01 अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अतर्गत आवेदन किया गया है। उक्त विज्ञापन में अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पद विज्ञपित नही होने के कारण उक्त 05 अभ्यर्थियों के आवेदन को अमान्य किया गया है।

सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान हेतु पुनः ऑनलाईन आवेदन किये गए 05 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व दिनांक 10.02.2021 को प्रथम पाली पूर्वान्ह 09:00 बजे से 12:00 बजे तक किया जाना है। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यथियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। दिनांक 10.02.2021 को आयोजित दस्तावेज सत्यापन में अर्ह पाये गए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 11.02.2021 को आयोजित किया जावेगा।

अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण–पत्र" ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में शैक्षणिक दस्तावेजों/स्थायी जाति/निवास/आय/निःशक्तजन प्रमाण पत्र/पहचान पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों के मूल प्रति तथा एक–एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता/अन्य प्रमाण पत्रों की कमी होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं इस संबंध में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यथियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नोटः– नोवेल कोराना वायरस (Covid-19) के संक्रनण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हेंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हेंड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

27.1.2021

परीक्षा नियंत्रक

छ.ग. लोक सेवा आयोग

रायपुर